संख्या-468/2025/1223/25-27-सिं-4-72(डब्ल्यू)/96-ई-1128580

प्रेषक

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 03 अक्टूबर, 2025**

विषय: ऊपरी गंगा नहर को दिनांक 02/03 अक्टूबर 2025 की मध्य रात्रि से दिनांक 19/20 अक्टूबर 2025 की मध्य रात्रि तक बन्द किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अनु0 एवं मूल्यां0), सिचांई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-510/सिनिक-19/नहर बन्दी, दिनांक 18 सितम्बर, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ऊपरी गंगा नहर के शीर्ष भाग में विभिन्न कार्यो/संरचनाओं की मरम्मत, नई आपूर्ति धारा एवं लिंक चैनल में शोल सफाई का कार्य मुख्य गंगा नहर में बने घाटों की सीढियों एवं पिचिंग की मरम्मत, रेलिंग, ऐंगिल पोस्ट एंव चैन लगाने एवं पेन्टिंग एवं नव-निर्माण के कार्य कराये जाने हेतु ऊपरी गंगा नहर को दिनांक 02/03 अक्टूबर 2025 की मध्य रात्रि से दिनांक 19/20 अक्टूबर 2025 की मध्य रात्रि तक बन्द किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता (अनु0 एवं मूल्यां0), सिचांई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2025 द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में ऊपरी गंगा नहर को दिनांक 02/03 अक्टूबर 2025 की मध्य रात्रि से दिनांक 19/20 अक्टूबर 2025 की मध्य रात्रि तक नहर बन्दी की अनुमति प्रदान की जाती है।

3. उक्त नहर बन्दी के सम्बन्ध में उपलब्ध संचार/समाचार माध्यमों से स्थानीय कृषकों की जानकारी हेतु समुचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराते हुए उक्त से क्षेत्रीय मा0 सांसदगण, मा0 विधायकगण एवं अन्य मा0 जन प्रतिनिधियों को अवगत कराया जाय।

भवदीय
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. आयुक्त, सहारनपुर/मेरठ/आगरा मण्डल, उ0प्र0।
6. जिलाधिकारी, हरिद्वार, मेरठ, सहारनुपर, आगरा, बिजनौर, अलीगढ़।
7. प्रमुख अभियन्ता (परि0/नियो0) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9. गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) पश्चिम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 मेरठ।
11. मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 मेरठ।
12. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल, सिंचाई कार्य, आगरा।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।